

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-1530 / 2023

बहादुर सिंह

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. पुलिस महानिदेशक, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, करौली।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.06.2023

आदेश की दिनांक : 14.06.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री अनिल कुमार शुक्ला, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य(न्यायिक)

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने निलम्बन आदेश 06.06.2022 (अनुलग्नक-1) को चुनौती दी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी को गिरफ्तार किया था एवं अपीलार्थी के विरुद्ध धारा-7 भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधित) अधिनियम, 2018 एफआईआर संख्या 220/2022 दर्ज की गयी है। जिसके पश्चात अपीलार्थी के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की जा चुकी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि निलम्बन आदेश पारित हुये करीब 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। अपीलार्थी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है। फौजदारी प्रकरण के निस्तारण में समय लगेगा। ऐसे में अधिक समय तक निलम्बन रखा जाना उचित नहीं है।
2. अपीलार्थी के उपरोक्त तर्क पर विचार किया गया। कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 22.03.2023 जारी किया गया है, जो आपराधिक प्रकरणों में निलम्बन से बहाली के संबंध में है। उपरोक्त परिपत्र में दिशा-निर्देश क्रमांक ए-1 एवं ए-2 अपीलार्थी के प्रकरण पर लागू होते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं :-

“ए-1 किसी लोकसेवक को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है अथवा भ्रष्टाचार से संबंधित

अन्य मामले में 48 घण्टों से अधिक समय तक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है तो संबंधित लोकसेवक को तत्काल निलम्बित किया जायें।

लोकसेवकों के ऐसे प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी होने तथा सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में उनके प्रकरण निलम्बन से बहाली हेतु गठित पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाएंगे।

ए-2 भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य प्रकरणों (रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी से भिन्न) में, आय से अधिक सम्पत्ति अथवा धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रकरणों में यदि संबंधित लोक सेवक को पूर्व में निलम्बित नहीं किया गया है तो प्रकरण में लोकसेवक के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी होने पर प्रकरण के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता, राज्य सरकार की लोकसेवक के अनुरूप आचरण की अपेक्षा, पद की गरिमा, अभियोजन/अनुसंधान एवं साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर लोकसेवक के निलम्बन के संबंध में समुचित निर्णय लिया जावे।

यदि प्रकरण में लोकसेवक को निलम्बित किया गया है तो लोकसेवक के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में लोकसेवक के प्रकरण को निलम्बन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावे।

यदि प्रकरण में लोकसेवक को निलम्बित किया गया है तो लोकसेवक के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में लोकसेवक के प्रकरण को निलम्बन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावे।”

3. उक्त परिपत्र में कार्मिक विभाग ने यह निर्देश दिये हैं कि लोक सेवा के ऐसे प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति जारी होने तथा सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने की स्थिति में उक्त प्रकरण निलम्बन से बहाली हेतु प्रकरण पुनरावलोकन समिति के समक्ष रखा जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी के विरुद्ध फौजदारी न्यायालय में चालान प्रस्तुत हो चुका है। उपरोक्त परिपत्र को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना यह आदेश दिये जाते हैं कि उक्त परिपत्र दिनांक 22.03.2023 के परिप्रेक्ष्य में पुनरावलोकन समिति के समक्ष अपीलार्थी के

निलम्बन के संबंध में प्रकरण को विचारार्थ रखा जाये एवं पुनरावलोकन समिति नियमानुसार उक्त परिपत्र दिनांक 22.03.2023 की रेशनी में अपीलार्थी के मामले पर गुणावगुण पर विचार कर निर्णय पारित करेगी।

4. उक्त कार्यवाही के लिए 2 महिने का समय प्रदान किया जाता है। उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)